

राजस्थान सरकार


चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक:- ई-33/प्रयो.सहा./ /2017/

दिनांक :

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/प्रयो.सहा./सीधी भर्ती-2013/2017/350 दिनांक 17.11.17 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 9450/2016 में पारित आदेश दिनांक 15.12.16 एवं निर्णय दिनांक 09.08.17 की पालना में निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/प्रयो.सहा./सीधी भर्ती/2013/2016/820 दिनांक 16.06.16 को प्रत्याहरित (Withdrawn) करते हुये श्री राजेन्द्र कुमावत पुत्र श्री रामफूल कुमावत को प्रयोगशाला सहायक के पद पर अधीक्षक, सर पदमपत् मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान जयपुर के अधीन कार्यग्रहण करवाने की अनुमति प्रदान की गई थी। अधीक्षक, सर पदमपत् मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक संस्था/2017/10932-34 दिनांक 22.11.17 के अनुसार संस्थान में प्रयोगशाला सहायक का पद रिक्त नहीं होने के फलस्वरूप श्री राजेन्द्र कुमावत, प्रयोगशाला सहायक का पदस्थापन ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड विराटनगर (जयपुर) के अधीन प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पद पर किया जाता है।


(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0, जयपुर।

दिनांक : 1.12.17

क्रमांक:- ई-33/प्रयो.सहा./ /2017/ 362

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर-प्रथम।
2. अधीक्षक, सर पदमपत् मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान जयपुर।
3. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड विराटनगर (जयपुर)।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, क.नं. 302, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
5. श्री राजेन्द्र कुमावत, प्रयोगशाला सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0, जयपुर।